

नविवारक नरिोध

हाल ही में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने **नविवारक नरिोध कानून** को 'राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करने' वाला एक 'औपनिवेशिक वरिसत' के रूप में वर्णन कया है।

- न्यायालय ने कहा है कयिे कानून अत्यंत शक्तिशाली है, जो राज्य को स्वतंत्र व मनमाने तरीके से नरिणय लेने में सक्षम बनाता है।

नविवारक नरिोध कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय के नहितिार्थ

- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय भारत की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगत का प्रतिनिधित्व करता है। नविवारक नरिोध कानूनों के माध्यम से राज्य को दयिे गए मनमाने अधिकार पर न्यायालय की चेतावनी सरकारी शक्ति पर **नयितरण और संतुलन सुनश्चिति करने के महत्त्व पर जोर देती है।**
- अत्यधिक **सावधानी और सर्वाधिक वविरण (Excruciating Detail)** के साथ मामलों का वश्लेषण करने पर नरिणय की अवधारणा सरकार के लयिे व्यक्तियों के खिलाफ नविवारक नरिोध शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून की हर प्रक्रया का पालन करने हेतु एक उच्च मानक नरिधारति करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने की आवश्यकता को संतुलति करते हुए व्यक्तगत तथा नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के महत्त्व को रेखांकति करता है।
- नरिणय न्यायिक नरीक्षण और समीक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालता है ताकयिह सुनश्चिति कया जा सके कवैरिोध को दबाने या व्यक्तगत अधिकारों का उल्लंघन करने के लयिे नविवारक नरिोध कानूनों का दुरुपयोग नहीं कया जाता है।
- नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा पर न्यायालय का जोर **मौलिक अधिकारों** की सुरक्षा और भारत में वधि के शासन को सुनश्चिति करने में एक महत्त्वपूर्ण वकिस है।

नविवारक नरिोध:

- **परचय:**
 - नविवारक नरिोध का अर्थ है **कसी व्यक्तिको बना मुकदमे और न्यायालय द्वारा दोषसदिधि के नरिद्ध करना।** इसका उद्देश्य कसी व्यक्तिको पछिले अपराध के लयिे दंडति करना नहीं है बल्कि उसे नकिट भवष्य में अपराध करने से रोकना है।
 - कसी व्यक्तिकी हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कयिे एक सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत के लयिे परयाप्त कारण की रपिर्ट नहीं करता है।
- **सुरक्षा:**
 - अनुच्छेद 22 गरिफ्तार या हरिसत में लयिे गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधति है और दूसरा भाग नविवारक नरिोध कानून के मामलों से संबंधति है।
- **दो प्रकार के हरिसत:**
 - जब कसी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर पुलसि हरिसत में रखा जाता है तब इस प्रकार की हरिसत को **नविवारक नरिोध** की श्रेणी में रखा जाता है।
 - पुलसि के पास यह अधिकार है कयिे वह कसी को भी दंडनीय अपराध करने का संदेह होने पर हरिसत में ले सकती है औसुछ मामलों में वारंट अथवा दंडाधिकारी (मजसि्ट्रेट) के बोर्ड के परामर्श के बना भी गरिफ्तार कर सकती है।
 - **दंडात्मक नरिोध** अर्थ है- कसी अपराध के लयिे सजा के रूप में नरिोध। इसका उपयोग ऐसी स्थिति में कया जाता है, जब वास्तव में कोई अपराध कया गया हो, या अपराध करने का प्रयास कया गया हो।

स्रोत: द हदि

